

11 कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर 11

पत्रांक 510A / 12-1

दिनांक, गोपेश्वर, मई, 17/2022

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
कर्णप्रयाग।


विषय:- जनपद चमोली में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में सिमली-बेनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण हेतु 9.612 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु स्थल ग्राम सिलंगी में 5.00 है0 वृक्षारोपण हेतु चयनित किया गया, स्थल के के0एम0एल0 फाईल का DSS analysis करने पर MDF (Moderately Dense forest) की श्रेणी में पाया गया। जो क्षेत्र मध्यम वर्ग का जंगल दिखाई दे रहा है।

अतः आप ग्राम सिलंगी में 5.00 है0 भूमि को बदल कर अन्य स्थल चयन कर उक्त स्थल की के0एम0एल0 फाईल इस कार्यालय को प्रेषित करे, के0एम0एल0 फाईल को DSS analysis करने के उपरान्त क्षेत्र का परीक्षण किया जायेगा। तदोपरान्त ही उक्त स्थल का डिजिटल मैप बनाने हेतु आपको पत्र लिखा जायेगा। जिससे भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण हेतु स्थल में आ रही आपत्तियों का निराकरण पूर्व ही किया जा सके।

भवदीय,

निर्गमनार्थ प्राधिकृत

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।